FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्रीमती सुशीला व अन्य बनाम श्री मदनसिंह व अन्य

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र वास्ते प्रकरण को पुनः उसी नम्बर पर लेनकर आगामी कार्यवाही किये जाने एवं फाईनल डिक्री पारित किये जाने बाबत्। 26 मु0न0 26 सन 2020

25/8/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए
25-08-2020	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अवलनोकन में पाया कि प्रार्थी ने उनके मूल वाद संख्या 10/2016 अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवान श्रीमती सुशीला व अन्य बनाम श्री मदनसिंह व अन्य आदेश दिनांक 27.03.2019 को अदम तकमील में खारिज किये जाने के कारण पुनः नम्बर पर लिये जाने के कथन किए हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् आदेशिका दिनांक 27.03.2019 के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण ने लगभग 8 माह तक तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट पर किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया जबकि न्यायालय द्वारा प्रार्थी को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। इस प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को भी लगभग 16 माह की देरी से प्रस्तुत किया है जिसका भी कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र प्रकरण को पुनः उसी नम्बर पर लेकर आगामी कार्यवाही किये जाने एवं फाईनल डिक्री पारित किये जाने बाबत् स्वीकार योग्य नहीं होने से एडमिशन स्तर पर ही खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यह प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ नत्थी रहे। आदेश आज दिनांक 25-08-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (श्वेता चौहान) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	